

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी: प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 158/2025 अपील (GCMS 2025/183)  
पंजीयन दिनांक- 28/07/2025

अपीलांतस	रेस्पोडेंट्स
स्व. शांता देवी पत्नी स्व. सवजीराम के वारिसान:- 1. दिनेश पिता स्व. सवजीराम भील, 2. जीवन प्रकाश पिता स्व. सवजीराम भील, निवासीयान आवेदक प्रस्तावित गांव सीमावर्ती गांव चक भण्डारिया, जिला डूंगरपुर	1. राजस्थान राज्य जरिये उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर 2. तहसीलदार, डूंगरपुर

प्रकरण संख्या - 159/2025 अपील (GCMS 2025/184)

अपीलांतस	रेस्पोडेंट्स
स्व. ईश्वर पिता वक्ता के वारिसान:- 1. बाबुलाल पिता स्व. ईश्वर रोत भील, 2. शंकर पिता वक्ता रोत भील, निवासीयान आवेदक प्रस्तावित गांव सीमावर्ती गांव चक भण्डारिया, जिला डूंगरपुर	1. राजस्थान राज्य जरिये उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर 2. तहसीलदार, डूंगरपुर

प्रकरण संख्या - 161/2025 अपील (GCMS 2025/186)

अपीलांत	रेस्पोडेंट्स
कृष्णाकांत पिता कमरलाल भील, निवासीयान आवेदक प्रस्तावित गांव सीमावर्ती गांव चक भण्डारिया, जिला डूंगरपुर	1. राजस्थान राज्य जरिये उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर 2. तहसीलदार, डूंगरपुर

उपस्थिति:-

- श्री गौरव चौबीसा - वकील अपीलांत
- श्री मुरलीधर पालीवाल - राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 59/2023, प्रकरण संख्या 30/2023, एवं 06/2023 निर्णय दिनांक 13.03.2023

संभागीय आयुक्त  
उदयपुर (राज.)

## निर्णय

दिनांक 31/12/2025

अपीलांट द्वारा यह अपीलें राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 59/2023, प्रकरण संख्या 30/2023 एवं 06/2023 निर्णय दिनांक 13.03.2023 के विरुद्ध पेश की गयी।

उक्त अपीलों का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसील, डूंगरपुर में दिनांक 13.07.2018 को कैम्प चक भण्डारिया में कृषि भूमि आवंटन हेतु भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में अपीलार्थीगण के भूमि आवंटन के प्रकरणों में उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर ने आपत्ति दर्ज करते हुए प्रकरण अंतिम निर्णय हेतु जिला कलेक्टर, डूंगरपुर को प्रेषित किये। जिला कलेक्टर, डूंगरपुर ने प्रकरणों का परीक्षण करने उपरान्त दिनांक 13.03.2023 को प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर को निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रति प्रेषित किया। इस आदेश से व्यथित होकर/की पालना नहीं होने से अपीलार्थीगण ने अलग-अलग अपीलें मय धारा 05 अधिनियम के प्रार्थना पत्र सहित पेश की।

अपीलें दर्ज की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त अपीलें समान प्रकृति की होने के कारण एक ही निर्णय दिया जा रहा है। निर्णय की प्रति सभी प्रकरणों में शामिल फाईल की जावे। दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस सुनी।

विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु पर बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थी आदिवासी, अशिक्षित एवं गरीब काश्तकार है। इन्हें कानून की कोई जानकारी नहीं है। भूमि आवंटन नहीं होने तथा जिला कलेक्टर के आदेश की जानकारी इनको समय पर नहीं हुई। जिला कलेक्टर, डूंगरपुर के यहां तो पक्षकार भी नहीं थे। नकलें जब निकलवाई तब जानकारी हुई। इस कारण अपील पेश



संभागीय आयुक्त  
उदयपुर (राज.)

करने में देरी हुई जो संतोषजनक कारण है, इसलिए अपीलें पेश करने में हुई देरी को माफ कर अपीलें मयाद में शुमार करने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील ने गुणावगुण पर बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थी कई सालों से भूमि पर काश्त कर रहे हैं। भूमि को काफी खर्चा कर कृषि योग्य बनाया। इस पर कुएं खुदवाये, पेड़ पौधे लगाये तथा मकान बनाकर रह रहे हैं। समान स्थिति वाले व्यक्तियों को भूमि आवंटन कर दी और अपीलांट के साथ भेदभाव किया गया। उपखण्ड अधिकारी ने बिना किसी साक्ष्य एवं आधार के आपत्ति कर गरीब आदिवासियों को भूमि आवंटन करने से रोक दिया। कलक्टर ने आदेश में यह मानते हुए कि उपखण्ड अधिकारी की आपत्ति निराधार है, प्रकरण को रिमाण्ड कर भूल की है। अंत में अपील स्वीकार कर अपीलार्थीगण को भूमि आवंटन करने का आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलें मयाद बाहर पेश हुई हैं। देरी से पेश करने का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया है जिससे मयाद के बिन्दु पर ही अपीलें खारिज किये जाने योग्य हैं। जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने स्थिति स्पष्ट करने उपरान्त ही निर्णय लेने का निर्देश दिया है जो उचित और नियमानुसार है जिससे अपीलें निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा अपने पत्रांक 534 दिनांक 28.02.2023 द्वारा ग्राम चक भण्डारिया के अपीलाधीन तीन प्रकरणों में भू-आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अनुशंसित आवंटन में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी की असहमति के कथन के साथ प्रकरण जिला कलक्टर, डूंगरपुर को निर्णयार्थ प्रेषित किया गया।

संभागीय आयुक्त  
उदयपुर (राज.)

जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर निष्कर्षात्मक निर्णय प्रदान किया कि प्रस्तुत तीनों अपीलों में आवंटन सलाहकार समिति का कोई परामर्श व अनुशंसा अंकित नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी में मतभेद होने की दशा में ही जिला कलक्टर का क्षेत्राधिकार बनता है। अतः उपखण्ड अधिकारी को आवेदक के सद्भावी कृषक नहीं होने संबंधी आक्षेप को मय साक्ष्य/दस्तावेज आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखे जाने एवं मतभेद की दशा में प्रकरण जिला कलक्टर के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है।

जिला कलक्टर, डूंगरपुर के उपरोक्त विवेचनात्मक आदेश में कोई विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाई जाने से समान विषयक तीनों अपीलें सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है।



(प्रज्ञा केवलरमानी)  
संभागीय आयुक्त  
उदयपुर (राज.)  
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)  
संभागीय आयुक्त  
उदयपुर (राज.)  
उदयपुर